


### विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं. 6221/एडमिन. 'जी'-1/2019, इलाहाबाद दि. 14.5.2019 एवं शासनादेश संख्या- 102/सात-न्याय -2- 2015-728/86 न्याय अनुभाग 2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ, दिनांक 18 जून, 2015 के अनुसार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

### अर्हतायें

1. आयु :- 35 से 65 वर्ष
2. योग्यता- स्नातक डिग्री-समाजशास्त्र./मनोविज्ञान एवं समाज सेवा का अनुभव/सामाजिक कार्य में. मास्टर डिग्री धारक एवं पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष के अनुभव धारक-को वरीयता ।
3. नियुक्ति न्यायालय में संविदा के आधार पर होगी, न कि शासकीय।
4. अवधि- तीन वर्ष- माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति पर पुर्नविचार योग्य।
5. वेतन- शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय।

इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 10.6.2019 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

  
28.5.19  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।